भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3609**

जिसका उत्तर मंगलवार, 24 मार्च, 2026/3 चैत्र, 1948 (शक) को दिया गया

**सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पेंशनभोगियों की शिकायतें**

3609. श्री एस. सेल्वागनबेथी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन, सेवानिवृत्ति के समय प्रचलित वेतन स्तर पर ही स्थिर रहती है, जबकि कार्यरत कर्मचारियों के लिए समय-समय पर वेतन संशोधन होते रहते हैं;

(ख) क्या इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एसएलपी संख्या 5561/2016 (एम. सी. सिंगला मामला) में दिनांक 24.08.2022 को एक जवाबी हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें बैंक पेंशन योजनाओं की प्रकृति और वित्तपोषण संरचना का विवरण दिया गया है; और

(ग) क्या सरकार हाल के वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बेहतर लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता को देखते हुए पेंशन अद्यतन के लिए आईबीए और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा शुरू करने का प्रस्ताव रखती है?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और ग्यारह राष्ट्रीयकृत बैंक शामिल हैं। भारतीय स्टेट बैंक में पेंशन, भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि विनियम, 2014 द्वारा संचालित होती है, जिसे उनके केंद्रीय बोर्ड की स्वीकृति से बनाया गया है और राष्ट्रीयकृत बैंकों में, यह उनके बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 द्वारा संचालित होती है, जिसे संबंधित बैंकों के बोर्ड की स्वीकृति से बनाया गया है। मूल रूप से, पेंशन में मूल पेंशन और महंगाई राहत (डीआर) शामिल हैं। हालांकि, पीएसबी सेवानिवृत्त लोगों की मूल पेंशन निश्चित रहती है, महंगाई दर में समय-समय पर अर्थात छमाही आधार पर वृद्धि की जाती है। इसके अलावा, 12वें द्विपक्षीय समझौते/9वें संयुक्त नोट की सहमत शर्तों के अनुसार, पीएसबी द्वारा पात्र पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अलावा मासिक अनुग्रह राशि का भी भुगतान किया जा रहा है।

आईबीए के अनुसार, उसने एसएलपी संख्या 5561/2016 (एम. सी. सिंगला मामला) में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.8.2022 को एक प्रतिवाद हलफनामा दायर किया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पेंशन विनियमों में पेंशन को अद्यतन करने का प्रावधान नहीं है। साथ ही, वर्तमान में संगत पेंशन विनियमों के मौजूदा उपबंधों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त व्यक्तियों की पेंशन को अद्यतन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****